

**बिहार सरकार**  
**योजना एवं विकास विभाग**  
**आवश्यक सूचना**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० (सी०) संख्या-7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्र संख्या-03/परी०-BTSC-(अधि०) 01-23/2024-16 दिनांक-01.01.2025 एवं पत्रांक-670 दिनांक 24.02.2025 द्वारा विज्ञापन सं० 01/2019 के अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के 1298 कनीय अभियंता (असैनिक) के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1273 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई।

अनुशंसा उपरान्त विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उपस्थित कुल 1160 कनीय अभियंताओं का विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-639 दिनांक 03.02.2025, विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-797 दिनांक 11.02.2025, विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-1945 दिनांक 04.04.2025, विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-2547 दिनांक 13.05.2025 एवं विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-4791 दिनांक 18.08.2025 द्वारा नियुक्ति की गयी।

उक्त आदेशों द्वारा नियुक्त कनीय अभियंताओं में से निम्नलिखित द्वारा अबतक विभाग/पदस्थापन कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है :-

क्र०	विभाग को आवंटित क्र० सं० / समे० मे० क्र०	कनीय अभियंता का नाम
1	523 / 2181	श्री अच्युतानन्द आजाद
2	560 / 2289	श्री श्रवण कुमार
3	588 / 2398	श्री अरविन्द कुमार
4	630 / 2558	श्री सुशील कुमार चौधरी
5	686 / 2738	श्री आशुतोष कुमार
6	696 / 2755	श्री मुकेश कुमार
7	735 / 2873	श्री सुमन कुमार
8	737 / 2879	श्री राम नारायण चौधरी
9	800 / 3064	श्री अमीत कुमार विश्वास
10	857 / 3233	श्री कुमार राहुल
11	876 / 3287	श्री सुधांशु कुमार
12	937 / 3530	श्री परमवीर कुमार पंडित
13	966 / 3640	श्री प्रिन्स कुमार
14	1013 / 4069	श्री सनोज कुमार
15	1139 / 5728	श्री अंशु कुमार राय
16	1194 / 7227	सुश्री/श्रीमती ऋद्धि श्री
17	589 / 2399	श्री प्रदीप कुमार
18	1149 / 5831	श्री सुमन कुमार पासवान
19	1079 / 4964	श्री अमरजीत कुमार

*R* *Manish* *Prasad*

20	1012 / 4046	श्री रण विजय कुमार गुंजन
21	1076 / 4908	श्री आशीष कुमार
22	544 / 2240	मो० फिरोज आलम
23	632 / 2563	श्री सुनील कुमार
24	878 / 3295	श्री नागेन्द्र कुमार
25	1038 / 4391	श्री कुणाल कुमार

सूची में अंकित सभी कनीय अभियंताओं को सूचित किया जा रहा है कि वे यथाशीघ्र उपस्थित होकर विभाग/पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। नियुक्ति आदेश के एक वर्ष पूर्ण होने तक योगदान नहीं देने की स्थिति में इन कनीय अभियंताओं की नियुक्ति रद्द करते हुए इनके पदों को रिक्त घोषित करने की कार्रवाई की जा सकती है तथा आपका भविष्य में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ह०/—

(रणजीत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : यो०स्था०७/१-१९/२०२५ - ५८०/यो०वि०, पटना, दिनांक २९ जनवरी, २०२६  
 प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

*Manish*